न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट

जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 24 / 2022
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 07.06.2022

निर्णय दिनांक : 22.04.2025

उनवान

1. अणछी पुत्री लच्छा पत्नी रामा जाति भील निवासी बीकावास हाल निवासी शनि महाराज मंदिर के पास आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. भग्गा पिता चतरा जाति भील खेती निवासी काल्यासर का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास**
विपक्षी संख्या 01 की ओर से :– **अधिवक्ता प्रमोद लक्कार**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव बीकावास पटवार हल्का बीकावास तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या 87 के खसरा संख्या 1545, 1554, 1555, 1556, 1561, 1562, 1563, 1564, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1689 कुल किता 27 रकबा 3.5300 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 17 तक के सयुक्त हक अधिकार व आधिपत्य की भूमियां स्थित हैं। उक्त वर्णित सम्पतियां वजेराम जी के समय से चली आ रही हैं। वजेराम जी के तीन पुत्र लच्छा, उदा, पेमा हुए । उदा जी के वारीश प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 हैं और पेमा जी के एक मात्र पुत्र सोहन हुआ जिसका देहान्त हो चूका हैं तथा उसके वारीश प्रतिवादी संख्या 06 व 07 पेमा जी के वारीश है। लच्छा जी का देहान्त हो चूका हैं और लच्छा जी के कोई जायन्दा औलाद नही थी उनकी सभी पुत्रीयां थी जिनमें से राजी व मोहनी का देहान्त हो चूका हैं। मोहनी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 11 व 12 हैं तथा राजी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 13 से लगायत 17 हैं तथा प्रतिवादी संख्या 08, 09, 10 लच्छा जी की पुत्रीया है जो जीवित होकर उक्त वाद में प्रतिवादी हैं। परिवार का सजरा भी पेश किया गया जो वाद का अभिन्न अंग हैं। उक्त वर्णित सम्पतिया वजेराम जी थी परन्तु वजेराम जी के जीवनकाल में ही लच्छा जी का देहान्त हो जाने से सारी सम्पतियां उनके बडे पुत्र उदा जी के नाम आ गयी और लच्छा जी व पेमा जी का नाम उक्त जमाबन्दी में अंकित होने से

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

रह गया। सन् 1977 में जब सेटलमेन्ट की कार्यवाही चली तब उदा जी पेमा जी व लच्छा जी के पुत्र केशा जी ने मिलकर उक्त सम्पतियों के वजेराम जी की मानते हुए सेटलमेन्ट कार्यवाही में शपथ पत्र देते हुए उक्त सम्पतियां लच्छा जी के पुत्र केशा जी व उदा जी पिता वजराम जी व पेमा पुत्र वजेराम प्रत्येक के नाम 1/3 – 1/3 अंकित कर दी गई। जब भूमियां प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 अंकित की गई तो लच्छा जी के एक मात्र जायन्दा पुत्र केशा जी होने से सारी सम्पतियां केशा जी के नाम अंकित कर दी गई और उनकी पुत्रीयां का नाम जमाबन्दी में अंकित करने से रह गया जबकि कानूनन केशा जी के 06 बहिने और थी जिनके नाम अणछी, गंगा, छगुडी, हीरी, राजी व मोहन है उनका नाम जमाबन्दी में अंकित होने से रह गया। वजेराम जी के देहान्त के बाद उक्त सम्पति उदा जी के खाते दर्ज हुई और सेटलमेन्ट वालो ने उदा जी की सम्पतियां दस्तावेजो के आधार पर वजेराम जी की मानते हुए उनके तीनो पुत्र लच्छा, उदा, पेमा जी की मानते हुए प्रत्येक के नाम 1/3 – 1/3 अंकित कर दी चूकि वजेराम जी के जीवन काल में लच्छा जी का देहान्त हो गया था इसलिये सम्पतियां वजेराम से सिधी केशा पिता लच्छा जी के खाते दर्ज कर दी गई उक्त सम्पति में केशा जी का 1/3 हिस्सा दर्ज था। केशा जी के 06 पुत्रीयां ओर थी जिनके वारीश प्रतिवादी संख्या 08 से लगायत 17 है परन्तु उनका नाम उक्त जमाबन्दी में अंकित होने से रह गया और सम्पूर्ण सम्पतियां अकेले केशा जी के नाम अंकित हो गयी। केशा जी के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री नही था और विपक्षी संख्या 01 केशा पिता चतरा जी ने पटवारी से मिलीभगत कर केशा जी का अपने आप का गोद पुत्र बताते हुए सम्पूर्ण सम्पति अपने नाम करवा ली केशा जी ने अपने जीवन काल में किसी को गोद नही रखा था और उनके कोई पुत्र पुत्रीयां नही थी। वैसे भी कानूनन केशा जी के बहिने जीवित थी और यदि किसी के पुत्र पुत्री माता पिता जीवित नहीं हैं तो तृतीय श्रेणी के दायाद उसकी बहिने कानूनन उसकी वारीशान होती हैं। उक्त सम्पतियां वजेराम जी की होकर केशा जी के समय से चली आ रही हैं वैसे भी केशा जी के कोई पुत्र पुत्री नही होने के कारण उक्त सम्पति के वारीश प्रतिवादी संख्या 08 से लगायत 17 हैं। वादी द्वारा जब खाते की नकल निकलवायी तो वादी की यह जानकारी में आया कि उक्त भूमियां जो लच्छा जी के हक अधिकार की थी वे सारी सम्पतियां केशा जी के खाते दर्ज हो गयी और केशा जी के बाद भग्गा पिता चतरा जी जाति भील निवासी तिकरडी जो विपक्षी संख्या 01 होकर मुल रूप से टिकरडी का रहने वाला है उसने पटवारी व पंचायत से मिलीभगत कर अपने आप को केशा जी की सम्पति का वारीशा बताते हुए उनका गोद पुत्र बताते हुए सम्पूर्ण सम्पतियां अपने नाम पर कर दी जो गलत हैं। केशा जी के कोई जायन्दा पुत्र नही था और उन्होने विपक्षी संख्या 01 को कभी गोद नही रखा न ही केशा पिता चतरा ग्राम बीकावास आकर रहा न उसने कभी केशा जी की सेवा चाकरी की और न ही केशा जी व उनके परिवार या उनकी पत्नी द्वारा उनके जीवन काल में विपक्षी संख्या 01 को कभी भी गोद नही रखा और विपक्षी संख्या 01 केशा पिता चतरा द्वारा फर्जी तरिके से अपने आप को केशा जी का गोद पुत्र बताते हुए उक्त भूमि अपने नाम पर करवा दी जो कानूनन गलत हो पुनः सम्पति केशा जी के वारीशान के नाम दर्ज किया जाना नितान्त अनिवार्य हैं। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया हैं कि उक्त वर्णित सम्पतियां जो केशा जी के

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

खाते दर्ज हैं उन्हें वादी व प्रतिवादी संख्या 08 से लगायत 17 की घोषित किया जाना अनिवार्य हो गया हैं अन्यथा वादी अपने हको से महरूम हो जायेगा तथा वादी को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई सम्भव नही होगी। यदि भूमियां केशा जी के भग्गा को गोद पुत्र माना जावे तो भी केशा जी की सम्पतियों में भग्गा जी का कानूनन 1/7 हिस्सा बनता हैं। विपक्षी संख्या 01 सम्पति अपने नाम होने का फायदा उठा उक्त सम्पति को बय बक्षी व हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। विपक्षी संख्या 01 को यह कतई अधिकार नही हैं वह उक्त सम्पति को हस्तान्तरण करें, विपक्षी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना अनिवार्य हो गया है अन्यथा विपक्षी संख्या 01 उक्त सम्पति को हस्तान्तरित कर देगा और प्रार्थी अपने हको से महरूम हो जायेगा तथा व्यर्थ की मुकदमे बाजी बढेकी। प्रार्थी को भारी कष्ट व सुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूर्णिय क्षेति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई सम्भव नही हैं। इन परिस्थिति में यह भी आवश्यक हो गया हैं कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की पेरा संख्या 01 में वर्णित सम्पतियों को बय, बक्षीस, हस्तान्तरण नही करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथावत स्थिति बनायी रखें। जिसके लिये यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का सुदृढ होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं रोका जाता है तो अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को ही होने वाली है। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन और अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध हैं कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त वर्णित सम्पतियों को बय, बक्षीस, हस्तान्तरण नही करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथावत स्थिति बनायी रखें ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार ने मूल वाद मे वकालत नामा पेश किया। दिनांक 22.04.2025 को विपक्षी की तरफ से कोई उपस्थित नही जिससे विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव बीकावास पटवार हल्का बीकावास तहसील आमेट जिला राजसमन्द के खाता संख्या 87 के खसरा संख्या 1545, 1554, 1555, 1556, 1561, 1562, 1563, 1564, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1689 कुल किता 27 रकबा 3.5300 हैक्टेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी मूल वाद

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

42/2022 के निस्तारण तक स्वयं के हिस्से (1/3) तक की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **22.04.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)